

07.02.2024:—आज पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आए। मूल वाद-पत्र पैरवी/अदम हाजरी खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. ए. वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सदर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

